

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

..... मुकेश कुमार बनाम श्रीमत्प्रसाद

किस्म मुकदमा धारा-223 मि.नं. 551204 सन

अभिभाषक अपीलान्त पद्म प्रसाद खरेजवाल अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट नेहरू कुमार उज्ज्वल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

12/9/23

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिपद द्वारा कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेश-नुसार दिनांक 10/10/23 को पेश हो।

10/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10-10-23

पत्रावली पेश हुई। अन्नित्राषक अपीलान्त अनपस्थित। अन्निठ रेस्पोंड R-2 उपस्थित। शेष रेस्पोंडिंगों अनपस्थित। पत्रावली में बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनांक 16-10-23 को पेश हो।

16-10-23

अदम हाजरी
स्वारिज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16-10-23


पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्त व उनके अन्नित्राषक को रूक-रूक कर तीन बार आवाजे लगावाई गई फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अन्निठ रेस्पोंड R-2 उपस्थित। अन्नित्राषक अपीलान्त पूर्व में भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पेशी में स्वारिज की जाती है। पत्रावली पेश आमतौर पर बाद तामील तक तामील दाखिल दफ्तर हो।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



श्री गंगम, दवादेनवाल एस०
द्वारा पेश की गई P.O. सा०
का पद रिक्त की P.O. सा०
के समक्ष पेश है

149 Socum RAA
कोटा



न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आर.ए.ए कोटा

R.A.
बाद जान (सीड)
पेश हो।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

मुकेश कुमार पुत्र शंकर लाल, जाति अहीर, (यादव) निवासी खोद तहसील
पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

—अपीलांत

बनाम

- 1- ओम प्रकाश पुत्र मोहन लाल जाति बसाई, निवासी गणेशपुरा तहसील
पचपहाड जिला झालावाड
- 2- लक्ष्मी बाई पति लालचन्द जाति तम्बोली, निवासी गणेशपुरा तहसील
पचपहाड जिला झालावाड
- 3- शाखा प्रबन्धक, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गणेशपुरा, तहसील
पचपहाड जिला झालावाड
- 4- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड

—रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 27.07.21

न्यायालय उखाण्ड अधिकारी भवानीमंडी

प्रकरण संख्या-38/दावा/2017

उनवान ओम प्रकाश बनाम लक्ष्मी बाई व अन्य

अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

मान्यवर,

अपील अवधि मध्य निम्न कारणों से पेश है :-

- 1- यह कि निर्णय फाइनल डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय
विधि एवं न्याया के सर्वथा विपरित है जो निरस्त होने योग्य है।

28/9/21